




बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक- 4/STA-(विविध)-30/2016 परि-3144 दिनांक- 15/6/17

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3 (ca) के तहत बिहार के अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के निर्धारण के क्रम में अनुसूची- I एवं II के रूप में कुल 133 मार्गों को चिह्नित किया गया है। इन मार्गों का प्रकाशन परिवहन विभाग के वेबसाईट <http://transport.bih.nic.in> पर कर दिया गया है।

यदि इन मार्गों के संबंध में किसी व्यक्ति/वाहन स्वामी को कोई सुझाव/आपत्ति देना हो तो वे परिवहन विभाग के सिंगल विन्डों काउन्टर पर दिनांक-14.07.2017 के अपराहन 4.00 बजे तक अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित रूप में समर्पित/उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।


अपर सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।